



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-04.01.2025

विषय:- थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा कुल 90.70 कि०ग्रा० प्रतिबन्धित चाइनीज मांझा के साथ 02 नफ़र अभियुक्त 01- मनिल कुमार गुप्ता व 02- अनिल गुप्ता गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराध/अपराधियों की रोकथाम व वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक-03.01.2025 को अभियुक्त 1. मनिल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० सोहन लाल गुप्ता निवासी डी 65/375 बौलिया लहरतारा थाना मंडुवाडीह वाराणसी को लहरतारा फुलवरिया ओवरब्रीज के नीचे शंकर भगवान की मंदिर के पास से कुल 31.680 कि०ग्रा० प्रतिबन्धित चाइनीज मांझा के साथ तथा अभियुक्त 2. अनिल गुप्ता पुत्र स्व० सोहन लाल गुप्ता निवासी डी 65/375 बौलिया लहरतारा थाना मंडुवाडीह वाराणसी को बौलिया तिराहा स्थित दुर्गा माता मंदिर के पास से कुल 59.020 कि०ग्रा० प्रतिबन्धित चाइनीज मांझा के साथ गिरफ्तार किया गया । उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा क्रमशः मु०अ०सं०-03/2025 धारा 293,125,223 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 व मु०अ०सं०-02/2025 धारा 293,125,223 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मनिल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० सोहन लाल गुप्ता निवासी डी 65/375 बौलिया लहरतारा थाना मंडुवाडीह वाराणसी, उम्र करीब 40 वर्ष ।
2. अनिल गुप्ता पुत्र स्व० सोहन लाल गुप्ता निवासी डी 65/375 बौलिया लहरतारा थाना मंडुवाडीह वाराणसी, उम्र करीब 48 वर्ष ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक-03.01.2025 को अभियुक्त मनिल को लहरतारा फुलवरिया ओवरब्रीज के नीचे शंकर भगवान की मंदिर के पास से व अभियुक्त अनिल को बौलिया तिराहा स्थित दुर्गा माता मंदिर के पास से ।

बरामदगी का विवरण- कुल 90.70 कि०ग्रा० प्रतिबन्धित चाइनीज मांझा बरामद ।

- 01 सफेद बोरी में 31.680 कि०ग्रा० प्रतिबन्धित चाइनीज मांझा (सम्बन्धित मु०अ०सं०-03/2025 धारा 293,125,223 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 थाना मंडुवाडीह कमि० वाराणसी) व
- 02 सफेद बोरी में 59.020 कि०ग्रा० प्रतिबन्धित चाइनीज मांझा (सम्बन्धित मु०अ०सं०-02/2025 धारा 293,125,223 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 थाना मंडुवाडीह कमि० वाराणसी)

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त मनिल गुप्ता पुत्र स्व० सोहन निवासी डी 65/375 बौलिया लहरतारा थाना मंडुवाडीह वाराणसी-

1.मु०अ०सं० 0003/2025 धारा 293,125,223 बी०एन०एस० व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 थाना मंडुवाडीह कमि० वाराणसी ।

अभियुक्त अनिल गुप्ता पुत्र स्व० सोहन निवासी डी 65/375 बौलिया लहरतारा थाना मंडुवाडीह वाराणसी-

1.मु०अ०सं० 0002/2025 धारा 293,125,223 बी०एन०एस० व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 थाना मंडुवाडीह कमि० वाराणसी ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र०नि० भरत उपाध्याय थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी ।
2. उ०नि० राहुल सिंह थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी ।
3. उ०नि० पवन कुमार थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी ।
4. उ०नि० सत्यानंद यादव थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी ।
5. म०उ०नि० खुशबू कुमारी थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी ।
6. हे०का० दयाशंकर शर्मा थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी ।
7. हे०का० विनोद सरोज थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी ।
8. म०का० नेहा साह थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी ।



सोशल मीडिया सेल

पुलिस उपायुक्त

वरुणा जेल, कमिन्ट्रेस्ट वाराणसी

